

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 09/6/26

विषय : बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त श्री विजय राम, सफाईवाला, हाउस किपिंग कार्यालय, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, पूर्व मध्य रेलवे, गया की दुर्घटनाग्रस्त होने के फलस्वरूप स्थायी विकलांगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल ₹7,50,000.00 (सात लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृत के संबंध में।

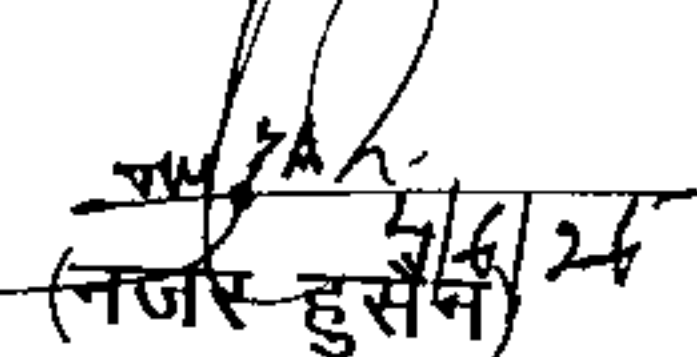
आदेश : स्वीकृत।

- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-756 दिनांक-28.03.2026 के अनुसार श्री विजय राम, सफाईवाला, हाउस किपिंग कार्यालय, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, पूर्व मध्य रेलवे, गया की पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्तव्य पर जाने के कम में दिनांक-07.12.2021 को सड़क दुर्घटना के परिणाम स्वरूप, हुई स्थायी विकलांगता (70%) की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
- उक्त के आलोक में पंचायती राज विभाग के पत्रांक 2440 दिनांक 10.05.2018 एवं 2325 दिनांक 09.04.2021 में निहित प्रावधानों के तहत बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्तव्य के दौरान श्री विजय राम, सफाईवाला (हाउस किपिंग कार्यालय), मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, पूर्व मध्य रेलवे, गया की दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल ₹7,50,000.00 (सात लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- यह स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष-2015- निर्वाचन-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उप

शीर्ष-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव" अन्तर्गत विषय शीर्ष '0002.37.01-अनुग्रह अनुदान' इकाई से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2015001090002 है।

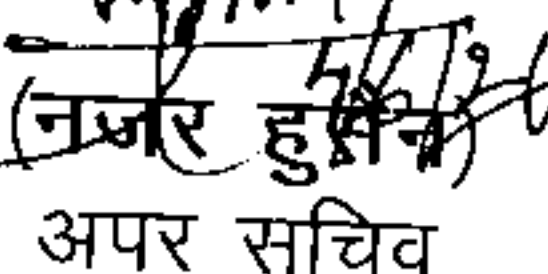
5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गया होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी। राशि की निकासी हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।
6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. प्रस्ताव पर विभागीय अनुग्रह अनुदान स्वीकृति समिति की दिनांक 14.05.2026 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्राप्त है। बैठक की कार्यवाही संचिका सं० 6प०/नि० प्र०/अनु०अनु०/17-01/2026 के पृष्ठ-24/प० पर रक्षित है।
8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 6प०/नि० प्र०/अनु०अनु०/17-01/2026 के पृष्ठ-10/टि० पर दिनांक 20/05/26 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 6प०/नि० प्र०/अनु०अनु०/17-01/2026 के पृष्ठ-9/टि० पर दिनांक 18/05/26 को प्राप्त है।
10. स्वीकृत्यादेश के दोनो पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभजन

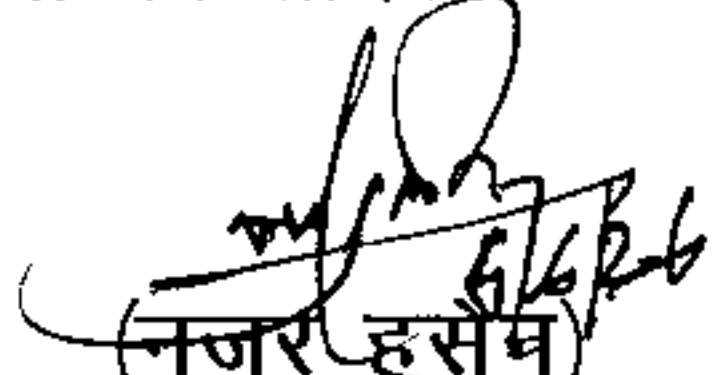

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

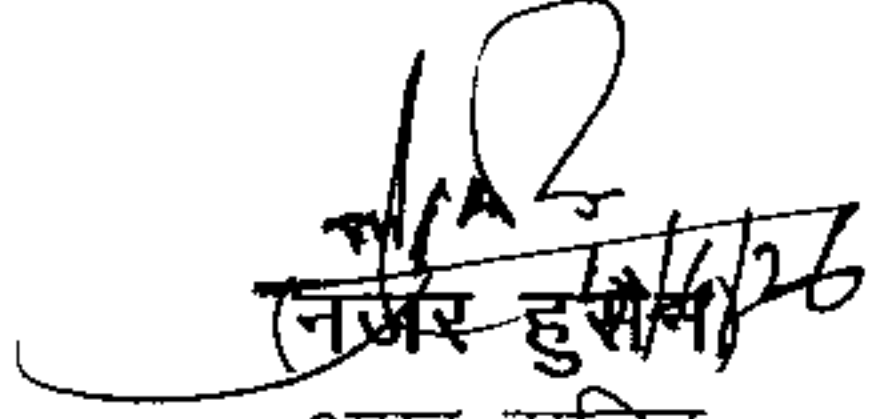
ज्ञापांक : 6प०/नि० प्र०/अनु०अनु०/17-01/2026/..... पं०रा० पटना, दिनांक 09/6/26
प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गया/
कोषागार पदाधिकारी, गया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया को सूचना एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि० प्र०/अनु०अनु०/17-01/2026/..... पं०रा० पटना, दिनांक..... 09/6/26
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त
विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सादर
सूचनार्थ प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि० प्र०/अनु०अनु०/17-01/2026/..... पं०रा० पटना, दिनांक..... 09/6/26
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05 (बजट) को
आवंटनादेश निर्गत करने एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
को स्वीकृत्यादेश की प्रति सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजने तथा विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

